न्यायालय अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अति. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 03/ 2018
रजिस्ट्रेशन संख्या : 2018/00025

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

श्री नरपत सिंह पिता अर्जुनसिंह जाति राजपुत निवासी आनन्दपुरी जिला बॉसवाडा।

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्स:–

1. श्री रविन्द्र सिंह पिता श्री अर्जुन सिंह जाति राजपुत निवासी आनन्दपुरी
2. श्री शंकर सिंह पिता श्री अर्जुन सिंह जाति राजपुत निवासी आनन्दपुरी
3. श्री जगपाल सिंह पिता श्री अर्जुन सिंह जाति राजपुत निवासी आनन्दपुरी
4. श्री राजेन्द्र सिंह पिता श्री अर्जुन सिंह जाति राजपुत निवासी आनन्दपुरी
5. श्री मानसिंह पिता श्री अर्जुन सिंह जाति राजपुत निवासी आनन्दपुरी
6. तहसीलदार आनन्दपुरी

उपस्थित

श्री महेन्द्र गॉधी, एडवोकेट

श्री भगवत पुरी एड्वोकेट
श्री राकेश पाटीदार एड्वोकेट
तहसीलदार आनन्दपुरी

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार तहसील आनन्दपुरी, दिनांक 21.12.2010 प्रशासन गॉवो के संग अभियान केम्प आनन्दपुरी क्रमांक प्र/गॉवो के संग/387 दिनांक 21.12.2010 किस्म मुकदमा 53 रा.का.अधिनियम में पारित निर्णय के विरुद्ध अपील

दिनांक :– 31.08.2021

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट व रेसपोडेंट सं. 1 से 5 आपस में सगे भाई है। अपीलांट व रेसपोडेंट सं 1 से 5 एवं स्व. सज्जनकुॅवर पत्नि अर्जुन सिंह का सयुक्त खातेदारी का खेत खाता सं. 125 नया व 108 पुराना जिसके आराजी सर्वे नं. 18 रकबा 0.27 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 760 रकबा 0.05 हैक्टर, आराजी सर्वे [illegible] रकबा 0.01 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 781 रकबा 0.04 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. [illegible] हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 784 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:36 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

Scanned with CamScanner

हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 786 रकबा 0.12 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 787 रकबा 0.08 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 788 रकबा 0.02 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1476 रकबा 0.14 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1482 रकबा 0.22 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1496 रकबा 0.13 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1500 रकबा 0.13 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1501 रकबा 0.21 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1509 रकबा 0.09 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1536 रकबा 0.06 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1543 रकबा 0.06 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1607 रकबा 0.46 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1686 रकबा 0.06 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1687 रकबा 0.07 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1689 रकबा 0.15 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1690 रकबा 0.09 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1691 रकबा 0.05 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1692 रकबा 0.05 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1699 रकबा 0.02 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1753 रकबा 0.14 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1756 रकबा 0.09 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1768 रकबा 0.07 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1769 रकबा 0.04 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1772 रकबा 0.12 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1777 रकबा 0.03 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1789 रकबा 0.05 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1792 रकबा 0.17 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 1797 रकबा 0.16 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 2447 रकबा 0.06 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 2447/2771 रकबा 0.01 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 2448 रकबा 0.09 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 2448/2770 रकबा 0.03 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 2453 रकबा 0.04 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 2605 रकबा 0.14 हैक्टर, आराजी सर्वे नं. 2606 रकबा 0.11 हैक्टर कुल सर्वे नं. 41 कुल रकबा 4.08 हैक्टर ग्राम आनन्दपुरी तहसील आनन्दपुरी जिला बॉसवाडा में स्थित है। अपीलांट के अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेंट नं. 1 से 5 के पिता एवं स्व. सज्जनकुॅवर के पति श्री अर्जुन सिंह के जीवन काल में ही बंटवारा वर्ष 1983 में कर दिया था मौके पर कब्जा भी अपने अपने खेतो पर था परन्तु राजस्व लेखो में बंटवारा नही हुआ था। प्रशासन गॉवो के संग अभियान केम्प आनन्दपुरी क्रमांक प्र/गॉवो के संग/387 दिनांक 21.12.2010 से उप तहसीलदार आनन्दपुरी द्वारा किया गया बंटवारा खातेदारो के मौके पर पूर्व मे काबिज अनुसार नही किया गया है जिससे अपीलांट व रेस्पोडेंट के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है तथा आराजी सर्वे नं. 2605 रकबा 14 ऐयर पर अपीलांट का कब्जा है तथा आराजी सर्वे नं. 781 रकबा 0.04 हैक्टर व आराजी सर्वे नं.783 रकबा 0.13 हैक्टर पर अपीलांट का कब्जा [illegible] है तथा आराजी सर्वे नं. 784 पर भी अपीलांट का कब्जा नही है जिसकी अपीलांट के नाम [illegible] में कानूनी भूल हुई है तथा उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:36 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

Scanned with CamScanner

भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा है। आराजी नं. 2605 रकबा 14 ऐयर भूमि पर अपीलांट का कब्जा अपने पिता अर्जुन सिंह द्वारा किये गये बटवारे सन् 1983 के समय से लगातार कब्जा है परन्तु उक्त खेत को भूल वश प्रशासन गॉवो के संग अभियान में रेस्पोडेंट रविन्द्र सिंह के नाम दर्ज कर दिया है। जिससे अप्रसन्न, असंतुष्ट होकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने अपीलांट द्वारा यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट संलग्न है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्ट को जरिये समन् तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली भी तलब की गई।

रेस्पोडेंट सं. 1 श्री रविन्द्र सिंह की ओर से श्री भगवत पुरी अधिवक्ता एवं श्री रवि पुरी अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र एवं रेस्पोडेंट सं. 2 से 5 की ओर से श्री राकेश पाटीदार अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ।

रेस्पोडेंट सं. 1 श्री रविन्द्र सिंह की ओर से प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया कि प्रशासन गॉव के संग अभियान में अपीलांट एवं सभी रेस्पोडेंट ने अपनी आपसी सहमति से मौके पर काबिज अनुसार प्रत्येक खातेदार कृषक को सर्वे नंबर सहित राजीनामा प्रस्तुत कर बंटवारा किया है। जो विधिनुकूल है। प्रशासन गॉव के संग अभियान में छपे हुए फार्म पर आवेदन लेकर बंटवारा नही किया गया है। बल्कि सुसंगत प्रयत्न में आवेदन कर अपीलांट एवं सभी रेस्पोडेंट ने अपने अपने हस्ताक्षर किये इसके बाद अभियान प्रभारी द्वारा बयान लेखबद्ध कर सभी अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट के हस्ताक्षर करवाये है। प्रत्येक खातेदार ने राजीनामा एवं आपसी सहमति से बंटवारा किया जाना स्वीकार किया है, इससे पूर्व खातेदार कृषक अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट ने स्टाम्प पर आपसी बंटवारा नामा लेखबद्ध कर अपने हस्ताक्षर से निष्पादित कर प्रस्तुत किया है। इस प्रक्रिया के पश्चात् आपसी सहमति से खातेदारी भूमि का विभाजन पत्र अपीलार्थी, रेस्पोडेंट नं.1 एवं अन्य रेस्पोडेंट की आराजीयान का विवरण सहित तैयार किया। जिस पर अपीलार्थी ने अपनी सहमति के हस्ताक्षर किये है। अपीलार्थी राजकीय सेवामे रहा है एवं अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट शिक्षित होकर अपने हितो के बारे में सोच समझ कर अभिवयक्ति की है। अपीलार्थी गॉव [illegible] में कई वर्षो से निवासरत नही है। वे टामटीया तहसील बॉसवाडा में निवास करते है। [illegible] नं. [illegible]5 रकबा 14 एयर को रेस्पोडेंट सं. 1 ने काफी राशि खर्च कर भूमि सुधार किया है [illegible] सार्वजनिक निर्माण विभाग की सडक

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:36 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, [illegible]

Scanned with CamScanner

निकलने के कारण अपीलार्थी की नियत में खोट आने से अन्य रेस्पोडेंट से दुरभि संधि कर रेस्पोडेंट सं. 1 का उक्त खेत हडपने के लिये 8 वर्षो के पश्चात् कालातीत एवं दीर्घ अवधि गुजरने के बाद यह अपील प्रस्तुत की है। प्रश्नगत आराजी सर्वे नं 2605 रकवा 14 एयर पर बंटवारे से पहले से ही रेस्पोडेंट का आधिपत्य है जहॉ पहले आवागमन का रास्ता नही था। वर्तमान में सडक निर्माण होने से यह मिथ्या, कालातीत व विधि विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है जो अपारस्तनीय होकर खारिज किये जाने योग्य है।

रेस्पोडेंट सं 2 से 6 की ओर से प्रस्तुत जवाब में उल्लेख किया गया है कि उप तहसीलदार आनन्दपुरी द्वारा किया गया बंटवारा पक्षकार का मौके पर काबिज के अनुसार नही होकर किया गया है जिससे अपीलांट व रेस्पोडेंट के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है तथा आराजी सर्वे नं 2605 रकवा 14 ऐयर पर अपीलांट का कब्जा है तथा आराजी सर्वे नं. 781 रकबा 0.04 हैक्टर व आराजी सर्वे नं. 783 रकबा 0.13 हैक्टर पर अपीलांट का कब्जा नही है तथा आराजी सर्वे नं. 784 पर भी अपीलांट का कब्जा नही है जिसको अपीलांट के नाम दर्ज करने में कानूनी भूल हुई है तथा उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा है आराजी नं. 2605 रकबा 14 ऐयर भूमि पर अपीलांट का कब्जा अपने पिता अर्जुन सिंह द्वारा किये गये बटवारे सन् 1983 के समय से लगातार कब्जा है परन्तु उक्त खेत को भूल वश प्रशासन गॉवो के संग अभियान में रेस्पोडेंट रविन्द्र सिंह के नाम दर्ज कर दिया है। उप तहसीलदार स्वयं के द्वारा मौके की रिर्पोट नही बनाकर पटवारी से रिर्पोट बनवायी है तथा किस किस खातेदार का कब्जा है एवं अडोस पडोस खेतो के पडोसियों के बयान नही लेकर अभियान में आपसी सहमति से विभाजन करने में भूल की है तथा वास्तविक स्थिति अनुसार विभाजन नही हुआ है। अपीलार्थी द्वारा सही अपील पेश की है मौके पर अपीलार्थी व रेस्पोडेंट का कब्जे व हिस्से के अनुसार एवं भूमि किस्म अनुसार बंटवारा किया जाना आवश्यक है।

दिनांक 02.11.2019 को रेस्पोडेंट सं.6 श्रीमती सज्जनकुॅवर की मृत्यु हो जाने से दिनांक 06.02.2020 को अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा उनके उत्तराधिकारी का कायम वरिस प्रार्थना पत्र पेश किया। पर्याप्त समय दिये जाने के उपरान्त भी अप्रार्थीगणो की ओर से जवाब प्रस्तुत नही किये जाने से जवाब बन्द किया गया। दिनांक 03.08.2021 को [illegible] पर बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि रेस्पोडेंट सं.6 श्रीमती सज्जनकुॅवर के देहावसान के पश्चात् उनके पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:36 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

Scanned with CamScanner

श्री जगपाल सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह व श्री मानसिंह वर्तमान में अपील में पूर्व से ही विपक्षी रेस्पोडेंट के रुप में दर्ज है। अतः इनको ही श्रीमती सज्जन कुंवर के उत्तराधिकारी के रुप में अंकित किया जावे। अप्रार्थीगण सं. 1 से 5 के अधिवक्ताओं द्वारा इस सन्दर्भ में सहमति जाहिर की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मृतक श्रीमती सज्जन कुंवर उत्तराधिकारी श्री जगपाल सिंह, श्री राजेन्द्र सिंह व श्री मानसिंह वर्तमान में अपील में पूर्व से ही विपक्षी रेस्पोडेंट के रुप में दर्ज होकर अंकित है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

दिनांक 03.08.2021 को उभयपक्ष की ओर से अपील पर प्रस्तुत बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपील में प्रस्तुत तथ्यो को दोहराते हुए बहस में कथन किया गया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट सं. 1 से 5 आपस में सगे भाई है। अपीलांट व रेस्पोडेंट नं. 1 से 5 के पिता एवं स्व. सज्जनकुँवर के पति श्री अर्जुन सिंह के जीवन काल में ही बंटवारा वर्ष 1983 में कर दिया था मौके पर कब्जा भी अपने अपने खेतो पर था परन्तु राजस्व लेखो में बंटवारा नही हुआ था। प्रशासन गॉवो के संग अभियान केम्प आनन्दपुरी क्रमांक प्र/गॉवो के संग/387 दिनांक 21.12.2010 से उप तहसीलदार आनन्दपुरी द्वारा किया गया बंटवारा खातेदारो के मौके पर पूर्व मे काबिज अनुसार नही किया गया है जिससे अपीलांट व रेस्पोडेंट के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया है तथा आराजी सर्वे नं. 2605 रकबा 14 ऐयर पर अपीलांट का कब्जा है एवं आराजी सर्वे नं. 781 रकबा 0.04 हैक्टर व आराजी सर्वे नं.783 रकबा 0.13 हैक्टर पर अपीलांट का कब्जा नही है, आराजी सर्वे नं. 784 पर भी अपीलांट का कब्जा नही है जिसको अपीलांट के नाम दर्ज करने में कानूनी भूल हुई है तथा उक्त भूमि पर रेस्पोडेंट का कब्जा है। आराजी नं. 2605 रकबा 14 ऐयर भूमि पर अपीलांट का कब्जा अपने पिता अर्जुन सिंह द्वारा किये गये बटवारे सन् 1983 के समय से लगातार कब्जा है परन्तु उक्त खेत को भूल वश प्रशासन गॉवो के संग अभियान में रेस्पोडेंट रविन्द्र सिंह के नाम दर्ज कर दिया है। जिससे अप्रसन्न, असंतुष्ट होकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने निवेदन किया। जिसके समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2018–19 आर.आर.टी 623 (Supp.) गंगाधर व अन्य बनाम भोरीलाल व अन्य तथा 2018–19 (Supp.) आर.आर.टी. 410 अंगुरी देवी व अन्य बनाम सौप्रसाद व अन्य प्रस्तुत किये। यह विलम्ब सद्भावनापूर्वक एवं वा[illegible] वकील अपीलान्ट ने बहस मे यह भी निवेदन किया कि अधिनस्थ न्याय[illegible] में आपसी सहमति से

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:36 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

Scanned with CamScanner

धारा 53राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निर्णय पारित किया गया है परन्तु निर्णय में वर्णित कब्जा काश्त के अनुसार होगे ऐसा विश्वास में रहकर अपीलांट व रेस्पोंडेंट ने हस्ताक्षर किये थे परन्तु रेस्पोडेंट नं.1 द्वारा विवाद करने पर राजस्व अभिलेख की नकले निकालने पर मौके पर पटवारी से जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ कि अपीलांट का अपने पिता के समय से किये बंटवारे के अनुसार बटवारा नही हुआ है। राजस्व अभिलेख व प्रशासन गॉवो के संग अभियान दिनांक 21.12.2010 की नकले दिनांक 16.08.2018 को प्राप्त करने के बाद यह अपील प्रस्तुत की है। इसलिए अपील को अन्दर म्याद समाहित करने निवेदन कर अपील स्वीकार करने निवेदन किया।

रेस्पोडेंट सं. 1 की ओर से अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रशासन गॉव के संग अभियान में अपीलांट एवं सभी रेस्पोडेंट ने अपनी आपसी सहमति से मौके पर काबिज अनुसार प्रत्येक खातेदार कृषक को सर्वे नंबर सहित राजीनामा प्रस्तुत कर बंटवारा किया है। जो विधिनुकूल है। प्रशासन गॉव के संग अभियान में छपे हुए फार्म पर आवेदन लेकर बंटवारा नही किया गया है। बल्कि सुसंगत प्रयत्न में आवेदन कर अपीलांट एवं सभी रेस्पोंडेंट ने अपने अपने हस्ताक्षर किये इसके बाद अभियान प्रभारी द्वारा बयान लेखबद्ध कर सभी अपीलार्थी एवं रेस्पोंडेंट के हस्ताक्षर करवाये है। प्रत्येक खातेदार ने राजीनामा एवं आपसी सहमति से बंटवारा किया जाना स्वीकार किया है, इससे पूर्व खातेदार कृषक अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट ने स्टाम्प पर आपसी बंटवारा नामा लेखबद्ध कर अपने हस्ताक्षर से निष्पादित कर प्रस्तुत किया है। इस प्रक्रिया के पश्चात् आपसी सहमति से खातेदारी भूमि का विभाजन पत्र अपीलार्थी, रेस्पोडेंट नं.1 एवं अन्य रेस्पोडेंट की आराजीयान का विवरण सहित तैयार किया। जिस पर अपीलार्थी ने अपनी सहमति के हस्ताक्षर किये है। अपीलार्थी राजकीय सेवामे रहा है एवं अपीलार्थी एवं रेस्पोडेंट शिक्षित होकर अपने हितो के बारे में सोच समझ कर अभिवयक्ति की है। वर्तमान में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सडक निकलने के कारण अपीलार्थी की नियत में खोट आने से अन्य रेस्पोडेंट से दुरभि संधि कर रेस्पोडेंट सं. 1 का उक्त खेत हडपने के लिये 8 वर्षो के पश्चात् कालातीत एवं दीर्ध अवधि गुजरने के बाद यह अपील प्रस्तुत की है। प्रश्नगत आराजी सर्वे नं 2605 रकबा 14 एयर पर बंटवारे से पहले से ही रेस्पोडेंट का आधिपत्य है जहॉ पहले आवागमन का रास्ता नही था। वर्तमान में सडक निर्माण होने से यह मिथ्या, [illegible] विधि विरुद्ध अपील प्रस्तुत की है जो अपास्तनीय होकर खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:36 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश बुनकर)
[illegible] जिला कलक्टर, [illegible]

Scanned with CamScanner

रेस्पोडेंट सं. 2 से 5 की ओर से अधिवक्ता ने अपीलांट का समर्थन करते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करने निवेदन किया।

अपील जहां तक म्याद बाहर होने का प्रश्न है। दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात् हम इस नतीजे पर पहूँचे है कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर होना चाहिये। लिहाजा अपीलान्ट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद समाहित करने के आदेश दिये जाते है।

अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर करने के विनिश्चय के पश्चात् उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखो एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट द्वारा 21.12.2010 को उप तहसीलदार आनन्दपुरी के समक्ष सह खातेदार का आपसी सहमति से बंटवारा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। समस्त खातेदारान् द्वारा राशि रु 10/– के स्टाम्प पर बंटवारा नामा प्रस्तुत किया है जिसमें फेहरिस्त अनुसार विभाजन करने पर अनापत्ति जाहिर की है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में आपसी सहमति से खातेदारी भूमि का विभाजन पत्र संलग्न है जिस पर समस्त खातेदारो के हस्ताक्षर है। पत्रावली में बयान भी लेखबद्ध है जिसमे बंटवारे पर सहमति जाहिर की गई है। उप तहसीलदार आनन्दपुरी द्वारा अपीलाधीन निर्णय 387 दिनांक 21.12.2010 पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र उनके कथन एवं बंटवारा फेहरिस्त के आधार पर नियमानुसार विभाजन स्वीकृत किया है, जिसमे कोई विधिक भूल नही की है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपीलाधीन निर्णय मे किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन बंटवारा आदेश प्रशासन गॉवो के संग अभियान केम्प आनन्दपुरी क्रमांक प्र/गॉवो के संग/387 दिनांक 21.12.2010 से उप तहसीलदार आनन्दपुरी द्वारा किया गया बंटवारा आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
अति.जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

(नरेश बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.01.28 10:58:36 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner